राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.15(24) निपेनि./नियम/2016/पार्ट-II/ 3807-14 दिनांक 16.12.15

संयुक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय,
अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर,उदयपुर।

विषय :— पेंशनर की विधवा/विधुर की जन्मतिथि के निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा निम्न ज्ञापन जारी किये गये हैं :—

1. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 30.06.2009
2. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 29.09.2011
3. F.12(3)FD/Rules/2008 Dated 07.11.2014

इनके अनुसार जन्मतिथि निर्धारण हेतु कर्मचारी द्वारा पेंशन कुलक/सेवापुस्तिका में जन्मतिथि/आयु के संबंध में उपलब्ध कराई गयी सूचना को प्रथम प्राथमिकता दी जानी है। यदि कर्मचारी के पति/पत्नी का सैकण्डरी स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। यदि उक्त दोनों स्थितियां नहीं है तथा दिनांक 12.09.2003 से पूर्व के पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राईविंग लाइसेंस में अंकित जन्मतिथि को माना जा सकता है बशर्ते कि पेंशनर का पति/पत्नी यह शपथ पत्र दे कि उसने सैकण्डरी स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा पास नहीं की है।

राशन कार्ड/मेडिकल डायरी अथवा अन्य विधिक साक्ष्य के आधार पर जन्मतिथि निर्धारित करने से पूर्व संबंधित विभाग से जन्मतिथि के संबंध में उपलब्ध जानकारी मांगनी होगी जिसके लिये संबंधित विभाग को एक माह का समय दिया जावेगा।

यदि पेंशनर के पति/पत्नी की जन्मतिथि के संबंध में मेडिकल डायरी, राशन कार्ड अथवा अन्य विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करना भी संभव नहीं हो तो उप खण्डीय न्यायाधीश द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके आधार पर उसकी जन्मतिथि निर्धारित की जा सकेगी।

दिनांक 01.01.2006 से पूर्व की सेवानिवृत्ति के मामलों में दिनांक 12.09.2008 से पूर्व के साक्ष्य ही मान्य होंगे।

जन्म तिथि निर्धारित होने के बाद सेकेण्ड्री स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि, सकेण्ड्री स्कूल उत्तीर्ण नहीं होने पर पति/पत्नी (पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र) के शपथ पत्र, के साथ मतदाता पहचान पत्र पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट की प्रति के साथ परिवर्तन की प्रार्थना प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जावे तथा उचित समझा जाने पर पूर्व में जन्म तिथि निर्धारण के समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुऐ परिवर्तन की अनुमति हेतु निदेशक को अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण भिजवाया जाये।

अधिकृति में साक्ष्य का उल्लेख न होने पर भी कोषाधिकारी द्वारा उसके आधार पर पेंशन का भुगतान किया जावेगा जिसका दायित्व अधिकृति जारी करने वाले अधिकारी का होगा।

भवदीय

(के.के. गैडियोक)
निदेशक

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर फोन 0141-2741607, 2740694 फैक्स 0141 2740678
वेबसाइट www.rajpension.nic.in ई मेल dir-pen-rj@nic.in
File No. :- D:\Office\...\2014-15\Rules Section.docx